सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23/5/18. पत्रावली न्याय आपके द्वार
शिविर सिंधाना में प्रस्तुत हुई।
चौकिए में प्रमाण इस प्रकार है
प्रार्थी भगवाना राम पुत्र श्री नारायणराम
ने धारा - 136 ~~[illegible]~~ के तहत
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया पटे

Scanned by CamScanner

तलब करा लिया कि बाल्यकाल से
उसके घरेलु नाम पप्पुराम से
जाना जाता था। पिता के स्वर्गवास
के पश्चात राजस्व अभिलेख में
पप्पुराम नाम अंकित हो गया है
जबकि अन्य सभी राजकीय अभिलेखों
में उसका नाम ~~सत्यपाल~~ भगवाना राम
S/O नारायण राम अंकित है जिनकी तस्दीक
शुदा प्रतियां भी संलग्न
है दस्तावेजों का अवलोकन किया
गया। दस्तावेजों की जाँच की गई।
जिनमे आम में
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये
जाने योग्य पाया गया। अतः
डीडवाना के राजस्व अभिलेख में
प्रार्थी की जमाबंदी भूमि खसरा नं. 135, 136
व 137 में नाम पप्पुराम के स्थान पर
भगवाना राम S/O नारायण राम किये जाने
का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार
डीडवाना तत्काल आवश्यक संशोधन कर
पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली
बाद तामील शुमार होकर नियम
विधि दाखिल न्यायालय में सिद्धान्त
भेजा खोला जाये पर इकाया गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना